

जी हॉ ।

ग्राम-कुतुबपुर व ग्राम मोढ़ी में डा० भीमराव अम्बेडकर पार्क हेतु आवंटित भूमि पर पार्क निर्मित नहीं है, और ग्राम-कुतुबपुर एवं ग्राम-मोढ़ी में पार्क हेतु आवंटित भूमि के आंशिक भाग पर अवैध कब्जा है ।

जी हॉ ।

अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध नियमानुसार उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत वाद न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश के उपरान्त विधिसंगत कार्यवाही करते हुये अवैध कब्जेदारों को बेदखल किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री
राजस्व विभाग